

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एम०-34/2017- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2019

डा० सुमन कुमारी जूनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना के द्वारा यह आवेदन दिया गया कि उनका गृह जिला पति के गृह जिला के आधार पर वैशाली है जबकि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रेषित अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की अधिसूचना में गृह जिला पटना अंकित है जो कि पिता के स्थायी पता पर आधारित है। डा० कुमारी के द्वारा गृह जिला में संशोधन का अनुरोध पत्र दिया गया।

2. डा० सुमन कुमारी के अनुरोध पत्र पर जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3. जिला पदाधिकारी वैशाली का पत्रांक-2393/जिला सामान्य दिनांक-13.12.18 एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सामान्य पटना का पत्रांक-32 दिनांक-07.01.19 के आलोक में डा० सुमन कुमारी जूनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना का स्थायी पता निम्नरूप से संशोधित एवं परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

डा० सुमन कुमारी,
पति-डा० राजेश रमण
ग्राम-गोरिगामा, प्रखण्ड-महुआ
जिला-वैशाली, (बिहार)

ह०/-
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -2/एम०-34/2017 - 879(2) पटना, दिनांक 27/03/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा० सुमन कुमारी जूनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02
25.3.19
सरकार के संयुक्त सचिव
38